न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 26/2024(GCMS : 2024/49)

HDFC Bank Limited, C-25, Bhagwant Das Road, Opposite Saint Xavier's School. C-Scheme, Jaipur, Rajasthan-302001

बनाम

1. **Mr. Surendra Singh** S/o Mr. Sultan **Address 1.**: Unit 3/211-Manaksar-Link Road, RHB-Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804, **Address 2.**: Ward No. 17, Shivpura , Bhandra Behind Jat Hostel, Hanumangarh, Rajasthan-335501, **Address 3**: House No. 3/79-Manaksar Link Road, RHB –Colony, Suratgahr, Sriganganagar, Rajasthan – 335804
2. **Mrs. Manju Kumari** W/o Surendra Singh, **Address 1**: Unit 3/2011-Manaksar-Link Road, RHB Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan – 335804 **Address 2.** : Ward No. 17, Shivpura , Bhandra Behind Jat Hostel, Hanumangarh, Rajasthan-335501, **Address 3** : House No. 3/79-Manaksar Link Road, RHB –Colony, Suratgahr, Sriganganagar, Rajasthan – 335804

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री कमल कुमार ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सुरेन्द्र सिंह एवं मंजू कुमारी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 4,30,674/– रूपये, (अखरे रूपये चार लाख तीस हजार छः सौ चौहत्तर मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 31.03.2023 तक की बकाया राशि 4,88,561/– रूपये थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी आवासीय सम्पत्ति हाउस नं. 3/211(ईडब्ल्यूएस), (क्षेत्रफल 43.425 वर्गमीटर)न्यू हाउसिंग बोर्ड योजना, मानकसर लिंक रोड, सूरतगढ़,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:47 IST
Reason: SelfAttested

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण सुरेन्द्र सिंह एवं मंजू कुमारी को ऋण सुविधा के रूप में** 4,30,674/—रूपये (अखरे रूपये चार लाख तीस हजार छः सौ चौहत्तर मात्र) (दिनांक 14.02.2020 को राशि 25689/— एवं दिनांक 20.02.2020 को राशि 4,04,985) **की स्वीकृति प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह ने अपनी **आवासीय सम्पत्ति हाउस नं. 3/211(ईडब्ल्यूएस), (क्षेत्रफल 43.425 वर्गमीटर)न्यू हाउसिंग बोर्ड योजना, मानकसर लिंक रोड़, सूरतगढ़,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.11.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस जारी किये गये है जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार अप्रार्थी मंजु कुमारी को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो गया है परन्तु अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने 13(2) का नोटिस उसके निवास स्थान पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों पंजाब केसरी एव दी इण्डियन एक्सप्रैस में प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:47 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी आवासीय सम्पत्ति हाउस नं. 3/211(ईडब्ल्यूएस), (क्षेत्रफल 43.425 वर्गमीटर)न्यू हाउसिंग बोर्ड योजना, मानकसर लिंक रोड़, सूरतगढ़, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रखी हुई है, का संबध है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 25.04.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 25.04.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने की दिनांक 28.04.2023 की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है और ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार अप्रार्थी मंजू कुमारी को दिनांक 01.05.2023 को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो गया परन्तु अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह को धारा 13(2) का नोटिस पर दिनांक 02.05.2023 को रिपोर्ट "Item Returned Addrerssee cannot be located" के साथ पुनः प्रार्थी बैंक को भिजवाया दिया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 03.05.2023 को अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों पंजाब केसरी एवं दी इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित करवाया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के निवास पर धारा 13(2) के नोटिस चस्पा की फोटो एवं समाचार पत्र की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुरेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सुरेन्द्र सिंह **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति हाउस नं. 3/211(ईडब्ल्यूएस), (क्षेत्रफल 43.425 वर्गमीटर)न्यू हाउसिंग बोर्ड योजना, मानकसर लिंक रोड़, सूरतगढ़, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:28:47 IST
Reason: SelfAttested